

**कार्यालय  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
राज्य प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- कार्यालय/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ, दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ध्यान-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय जीए इन्फोटेक नई दिल्ली द्वारा संकेत संख्या 2020-21 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय राजकीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद संख्या 10920 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/फलपंजन/प्रवेश संख्या कुट्टि सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसार नई सम्बद्धता समिति की बैठक को ग.सं-2 में विदेशीय इन इन्फो फाउण्डेशन संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

'मिडी क्षेत्र में स्थापित विदेशीय इन इन्फो फाउण्डेशन संचालित करने वाली विदेशीय राष्ट्रीय राजकीय शिक्षण संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद संख्या 10920 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एंजॉयमेंटीआईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एंजॉयमेंटीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिक फाउण्डेशन/प्रवेश संख्या के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एंजॉयमेंटीआईई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को अद्यत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राथमिक शिक्षा परिषद, 100 00 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन फाउण्डेशन एवं प्रवेश अंशित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एंजॉयमेंटीआईई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	4471	विद्यया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पुनजा (संख्या 10-2 संस्था टीआ. 000-मुल्तिका, पोरबंदर)	विजिल इंजीन विजिल इंजीन इन्फार्मेशन फाउण्डेशन एंड केंद्रीय इंजीनियरिंग इंजीन मैकेनिकल इंजीन कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एंजॉयमेंटीआईई/सिडसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद संख्या 1062 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1062 सेक्टर विनियमकारी-2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्गो फाउण्डेशन हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय फाउण्डेशन (दो वर्षीय कार्गो फाउण्डेशन के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर कलकाल द्वारा निर्णय किये जाने वाले वास्तविक प्रभावी होंगे, और उपर्युक्त

/s/

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे विनिर्दिष्ट शर्तियाँ द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीस की नवीनतम बरे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30%) प्राथमिक शिक्षा पत्रिकाएँ तथा छत्र सविधि, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सामानादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०टीआई/सीआई/सीआई/सीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए विधि/नियमों/प्रणालियों/सामानादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, 2002, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में सिधे सक्षम होगी।
- ✓ दिल्ली के पूर्व जामिनी पाठ्यक्रम को समाप्त करके पीसीआई नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने में असक्षम रहती है तो इस संस्था में सम्बद्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश शासन की कोई बंद बाधा किया जाता है तथा साथ ही संस्था में प्रा. पाठ्यक्रम द्वारा किसी प्रकार की प्रशिक्षण तकली आदेश निर्गत किया जाता है तो उचित प्रशिक्षण सक्षम संस्था की करनी होगी।
- ✓ दिल्ली के पूर्व जामिनी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित फाल होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा क्योंकि उक्त प्रवेश की (कार्यान्वित में भाग्य से सम्बन्धित संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आश्रय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापना, सत्र-संख्या, साक्षरता, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, प्रस्तावित शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ सैनिक टोकरों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम की बहाली करने हेतु विनियम शर्तियों को संस्था उपलब्ध कराये गये अनिच्छित भूमि-सूचना, धर्मोत्तर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है, कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो उचित संस्था की सम्बद्धता संचालन किन्हे करने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किन्हे करने संस्था शर्तों का उपलब्ध किन्हे करने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचनाओं/कार्यवाही की जाएगी।

(को. जामिनी शिक्षा)  
सचिव

पु०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1672-3141

तारीख: 15-09-2020

प्रतिनिधि-उपनायक/निदेशक, विकास इंस्टीट्यूट ऑफ इजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, बुंदेली एका 10-2 इमरॉ टॉला, पो-दुलधिया, गोरखपुर।

(को. जामिनी शिक्षा)  
सचिव





**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817****लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022****:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4471-VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त

छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)


सचिव

पू०सं०- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  
(एफ0आर0 खान)

सचिव